

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2017/477

दिनांक:- 3(8)17

आदेश

मण्डल की 232वीं संचालक बैठक दिनांक 20.09.16 के बिन्दु संख्या 232.4 पर लिए गए निर्णयानुसार राभाकृष्णापुरम आवासीय योजना, कोटपुतली में उपलब्ध अवशिष्ट 50 स्वतंत्र आवासों को वर्ष 2014-15 की लागत स्थिर रखते हुए प्रस्तावानुसार नियमानुसार खुली ब्रिकी योजनान्तर्गत नकद भुगतान पद्धति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृती एतद्वारा प्रदान की जाती है।


खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने आवासों का विवरण:-

क्र. सं.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	माप	निर्मित क्षेत्रफल	आवासों के क्रमांक
1.	MIG-A	09	8.00X16.00	56.25 व.मी.	1-A-13, 16 1-B-08, 09, 1-C-02, 03, 04, 1-D-06, 11 = 09
2.	MIG-B	14	9.00X18.00	74.50 व.मी.	1-F-27, 3-D-08, 3-E-01, 05, 09, 3-F-04, 06, 12, 15, 16, 3-G-03, 09, 11, 12=14
3.	HIG	27	11.25X21.00	128.324 व. मी.	3-A-10, 3-B-02, 03, 04, 06, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 3-C-01, 02, 04, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 =27
				कुल आवास	50

उक्त आवासों का निम्नांकित शर्तों के आधार पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट (आवास) किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

P.T.O.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय अति0 मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



सम्पदा प्रबंधक (मु0)